भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1876

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई

1876. डॉ. निशिकान्त दुबे:
सुश्री सयानी घोष:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षो के दौरान देश में विशेष रूप से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले/महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या और प्रतिशत हिस्सेदारी का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेष रूप से झारखंड और बिहार सहित 2014 की तुलना में 2025 में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्ता कितनी है;

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई का कुल रोजगार, निवेश और कारोबार में कितना हिस्सा है;

(घ) पुरुष-प्रधान एमएसएमई की तुलना में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को दिए गए ऋण की कुल राशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महिला उद्यमियों को प्राप्त होने वाले ऋण के मामले में काफी असमानता है (अनुमानित 35%) और वित्तीय पहुंच में इस तरह की असमानताओं में योगदान देने वाले कारकों से अवगत है;

(च) देश में एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) सरकार द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई और अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औपचारिक ऋण तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) उद्यम सहायता पोर्टल के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले आईएमई को पंजीकृत करने और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने में क्या प्रगति हुई है?.

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ज) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत दिनांक 01.07.2020 को की गई थी। दिनांक 28.07.2025 की स्थिति के अनुसार उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म सहित उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वित्तीय वर्ष-वार संख्या तथा इनका %(दिनांक 01.07.2020 से 15.07.2025 तक) अनुबंध-I पर संलग्न है।

महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत हैं, का कुल रोजगार, निवेश और टर्नओवर का योगदान का हिस्सा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	रोजगार (% में)	निवेश (% में)	टर्नओवर (% में)
2022-23	21.14	9.16	9.42
2023-24	34.37	10.15	9.96
2024-25	32.31	10.74	10.40

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) अपने सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों को एमएसई को उनके द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के लिए बिना किसी कोलेटरल प्रतिभूति और तृतीय-पक्ष की गारंटी के ऋण गारंटी प्रदान करती है।

- महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा सामान्य को दी जाने वाली 75 प्रतिशत की तुलना में 90 प्रतिशत है।
- महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को गारंटी शुल्क में 10% की छूट प्रदान की जाती है।

सीजीएस के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को अनुमोदित गारंटियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सीजीएस-अनुमोदित गारंटियां				
	महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई		पुरुषों के स्वामित्व वाले एमएसई	
अवधि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत से 30 जून, 2025 तक समग्र रप से	26,53,753	1,55,194	94,10,575	8,70,924

इसके अतिरिक्त, आईएमई (जिन्हें जीएसटी व्यवस्था से छूट प्राप्त है) को उनकी समग्र आवश्यकता के लिए असुरक्षित किफायती ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए, सीजीएस के तहत विशेष प्रावधान शुरू किया गया है। 85% कवरेज सीमा के साथ 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा की गारंटी है।

i. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

ii. महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक खरीद नीति में सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% सूक्ष्म और लघु महिला उद्यमियों से करने का प्रावधान किया गया है।

iii. एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है, जो एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोज़गार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर सृजित करना है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से 39% महिलाएं हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है।

iv. महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने कॅयर विकास योजना के अंतर्गत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का कार्यान्वयन किया है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

v. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता को 100% तक सब्सिडी दी जाती है, जबकि अन्य उद्यमियों के लिए यह 80% है।

vi. एमएसएमई मंत्रालय ने 18 व्यवसायों में लगे महिलाओं सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कई लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की है।

vii. मंत्रालय ने मौजूदा और भावी महिला उद्यमियों के बीच एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए जागरूकता अभियान 'यशस्विनी' की शुरूआत की है ताकि उन्हें निरंतर सहायता और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जा सके।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1876, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

इसकी शुरुआत से दिनांक 15/07/2025 तक उद्यम और यूएपी के तहत पंजीकृत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई का राज्य-वार और वित्तीय वर्ष वार %							
क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.70	25.04	25.43	28.92	30.90	40.15
2	आंध्र प्रदेश	19.65	23.50	28.84	61.72	63.07	40.87
3	अरुणाचल प्रदेश	22.10	30.67	51.77	42.23	47.15	43.80
4	असम	17.01	28.29	28.15	33.05	41.90	31.28
5	बिहार	16.15	17.42	16.53	63.46	44.92	29.19
6	चंडीगढ़	14.48	16.03	19.07	26.06	33.33	33.58
7	छत्तीसगढ़	12.69	14.05	16.73	56.15	42.89	39.10
8	दिल्ली	15.13	16.28	17.72	32.38	32.01	28.43
9	गोवा	18.66	21.76	24.17	47.71	40.83	30.76
10	गुजरात	15.19	13.72	16.37	37.54	28.76	23.16
11	हरियाणा	12.27	13.71	17.72	35.75	31.37	28.73
12	हिमाचल प्रदेश	14.80	17.08	18.61	24.14	24.54	25.14
13	जम्मू और कश्मीर	11.39	17.98	23.47	26.62	21.89	22.72
14	झारखंड	13.49	16.96	23.77	61.24	45.38	35.25
15	कर्नाटक	19.57	18.29	22.73	55.48	49.31	33.28
16	केरल	20.48	21.40	27.80	61.86	48.46	37.49
17	लद्दाख	11.26	15.41	15.94	37.12	39.53	40.82
18	लक्षद्वीप	12.82	9.66	17.47	15.19	31.83	28.85
19	मध्य प्रदेश	12.86	12.32	24.67	54.29	33.64	23.70
20	महाराष्ट्र	19.07	19.66	22.66	45.38	39.92	35.48
21	मणिपुर	38.84	37.78	46.53	63.92	57.77	63.97
22	मेघालय	28.26	28.89	34.49	47.34	57.07	55.44
23	मिजोरम	37.65	42.71	53.21	70.84	54.85	53.13
24	नागालैंड	27.53	33.41	41.70	60.81	48.54	49.66
25	ओडिशा	15.91	19.60	22.24	53.98	41.63	35.44
26	पुडुचेरी	27.30	27.87	29.94	56.89	56.58	40.78
27	पंजाब	13.53	15.70	21.52	35.76	37.89	31.84
28	राजस्थान	12.54	11.77	13.58	35.28	26.89	21.01
29	सिक्किम	25.14	33.84	32.79	39.46	62.63	56.96
30	तमिलनाडु	22.64	23.54	27.57	51.76	54.25	40.94
31	तेलंगाना	23.76	21.91	24.16	53.59	49.96	30.90
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	14.63	16.83	18.16	32.06	30.71	27.55
33	त्रिपुरा	13.49	11.92	24.57	77.42	51.50	54.07
34	उत्तर प्रदेश	14.11	14.17	24.97	39.46	34.84	23.22
35	उत्तराखंड	18.40	17.18	19.24	37.32	34.27	26.63
36	पश्चिम बंगाल	14.89	15.05	16.94	73.76	50.31	32.94
कुल		17.20	17.69	22.50	51.42	42.36	31.16

इसकी शुरुआत से दिनांक 15/07/2025 तक उद्यम और यूएपी के तहत पंजीकृत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई का राज्य और वित्तीय वर्ष वार विवरण							
क्र. सं.	**राज्य**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	461	729	978	1,561	1,343	467
2	आंध्र प्रदेश	12,725	34,411	70,454	812,136	895,586	77,203
3	अरुणाचल प्रदेश	160	692	3,598	4,657	6,867	1,702
4	असम	2,922	20,450	37,561	133,329	197,306	29,273
5	**बिहार**	**14,473**	**38,344**	**53,238**	**1,035,725**	**507,113**	**56,722**
6	चंडीगढ़	833	1,525	1,926	5,840	5,750	1,519
7	छत्तीसगढ़	4,166	9,614	18,094	266,534	169,117	26,010
8	दिल्ली	13,520	21,908	31,666	135,764	101,462	23,646
9	गोवा	1,120	1,867	3,734	22,013	13,084	1,583
10	गुजरात	37,107	4,205	85,094	521,603	284,322	51,569
11	हरियाणा	2,614	24,602	41,942	185,379	169,914	33,071
12	हिमाचल प्रदेश	1,884	4,572	8,754	21,302	24,756	4,807
13	जम्मू और कश्मीर	2,999	13,332	24,318	77,785	48,079	5,679
14	**झारखंड**	**5,776**	**14,021**	**33,711**	**376,059**	**170,259**	**23,911**
15	कर्नाटक	29,610	57,311	95,823	853,163	843,946	77,243
16	केरल	14,623	25,076	49,973	385,147	245,518	34,927
17	लद्दाख	82	353	510	2,667	1,675	396
18	लक्षद्वीप	5	20	58	60	361	30
19	मध्य प्रदेश	14,283	0,152	207,965	744,955	463,166	49,357
20	महाराष्ट्र	22,515	90,210	274,307	1,239,294	1,025,979	183,837
21	मणिपुर	4,010	5,158	9,827	30,005	26,278	7,099
22	मेघालय	197	643	2,301	7,476	12,064	4,314
23	मिजोरम	419	1,509	4,172	11,659	7,724	1,163
24	नागालैंड	196	1,108	3,041	15,750	8,922	2,651
25	ओडिशा	7,823	20,688	38,097	563,310	243,154	36,184
26	पुडुचेरी	1,046	2,277	3,441	20,309	17,601	1,846
27	पंजाब	13,649	28,704	58,085	212,624	218,505	36,809
28	राजस्थान	9,369	46,021	70,211	399,728	336,666	50,529
29	सिक्किम	87	602	1,033	3,190	8,319	1,554
30	तमिलनाडु	70,243	26,774	200,832	917,157	905,523	121,879
31	तेलंगाना	23,054	35,198	55,626	548,097	447,022	51,029
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	444	697	920	3,046	2,306	472
33	त्रिपुरा	226	799	4,073	130,539	34,857	5,936
34	उत्तर प्रदेश	30,646	58,553	367,057	994,356	702,201	109,250
35	उत्तराखंड	4,141	8,504	14,021	78,429	53,013	9,126
36	**पश्चिम बंगाल**	**9,353**	**25,492**	**47,094**	**2,040,313**	**550,500**	**69,257**
	कुल	**486,781**	**906,121**	**1,923,535**	**12,800,961**	**8,750,258**	**1,192,050**